

## जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

ज.वि.प्रा./अति.मु.न.नि./बी.पी.सी.(बीपी)/2019/डी-1122

दिनांक:- 11/7/2019

श्री गोवर्धन दास माहेश्वरी,  
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता,  
कृतिका अपार्टमेन्ट्स प्रा.लि.,  
डी-44, सुभाष मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर।

विषय:- योजना सोलिटैयर इण्डस्ट्रीयल पार्क के भूखण्ड राजस्व ग्राम दहमीकलॉ, तहसील सांगानेर, जयपुर के मुख्यमंत्री जन आवास योजना के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।

महोदय,

आपका प्रार्थना पत्र दिनांक 23.10.2018 के संदर्भ में जो प्रस्ताव योजना सोलिटैयर इण्डस्ट्रीयल पार्क के भूखण्ड राजस्व ग्राम दहमीकलॉ, तहसील सांगानेर, जयपुर में स्थित भूखण्ड (6156.05 वर्गमीटर) पर 29.60 मीटर ऊँचाई (भूतल + 09 तल) के मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अन्तर्गत भवन मानचित्र अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किये गये थे, उनकी स्वीकृति भवन मानचित्र समिति (बीपी) की 213वीं बैठक दिनांक 17.05.2019 के निर्णयानुसार निम्न शर्तों के साथ दी जाती है:-

1. यह भवन अनुज्ञा माह जनवरी-2022 (आदेश दिनांक 03.04.2017 की सामान्य शर्त संख्या 4A के अनुसार किन्तु 200 यूनिट माह जुलाई 2021 तक पूर्ण करने होंगे) तक प्रभावी है।
2. भवन निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही किया जावेगा तथा किसी भी प्रकार का उल्लंघन (डेवियेशन) नहीं किया जायेगा।
3. भूखण्ड के स्वामी एवं मानचित्र तैयार करने वाले तकनीकीविज्ञ का कर्तव्य होगा कि वो यह सुनिश्चित कर ले कि स्वीकृति मानचित्र प्रचलित मास्टर प्लान/जोनल प्लान के अनुरूप है यदि कोई उल्लंघन जानकारी में नहीं है, प्राधिकरण को अधिकार होगा कि किसी स्थिति में उल्लंघन की जानकारी होने पर भवन मानचित्रों को दी गयी अनुज्ञा रद्द/बदली जा सकती है तथा प्रार्थी प्राधिकरण में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा।
4. एकीकृत भवन विनियम 2017 के विनियम संख्या 8.11.2 के अनुसार अपशिष्ट जल का शुद्धिकरण एवं रिसाईकिलिंग हेतु भवन विनियमों के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जानी होगी।
5. एकीकृत भवन विनियम 2017 के विनियम संख्या 8.11.4 के अनुसार टोस कचरा निस्तारण हेतु भवन विनियमों के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जानी होगी।
6. एकीकृत भवन विनियम 2017 के विनियम संख्या 8.11.5 के अनुसार सौर ऊर्जा संयंत्र संबंधी भवन विनियमों के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जानी होगी।
7. एकीकृत भवन विनियम 2017 के विनियम संख्या 10.3 के अनुसार भवन में विद्युत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु संबंधित विद्युत वितरण एजेन्सी के प्रावधानों की पालना एवं एनर्जी कन्जर्वेशन बिल्डिंग कोड के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जानी होगी।
8. आप द्वारा एकीकृत भवन विनियम 2017 की धारा 15.2 के अनुसार भवन निर्माण प्रारम्भ करते समय एक सूचना पट्ट मौके पर लगाया जायेगा। जिसमें संबंधित आयुक्त/उपायुक्त संबंधित जोन व प्रवर्तन अधिकारी के टेलीफोन नम्बर इत्यादि अंकित किये जाने होंगे व अनुमोदित मानचित्र की सूचना व अनुमोदन की शर्तें अंकित की जायेगी। निर्माण के दौरान अनुमोदित मानचित्र की एक प्रति आवश्यक रूप से निर्माणकर्ता द्वारा मौके पर रखी जायेगी।
9. निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व आप उपायुक्त जोन-11 प्राधिकरण को निर्धारित प्रपत्र में सूचना प्रस्तुत करेंगे।
10. आप द्वारा एकीकृत भवन विनियम 2017 की धारा 15.3 के अनुसार भवन निर्माण द्वारा प्लिन्थ लेवल तक का निर्माण पूर्ण होने की सूचना निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक रूप से उपायुक्त जोन 11 को दी जानी होगी, यदि इसकी अनुपालना भवन निर्माता द्वारा नहीं की जाती है तो जारी अनुज्ञा को वापस ले लिया जावेगा।
11. एकीकृत भवन विनियम 2017 की धारा 15.5 के अनुसार भवन विनियम के अपेक्षाओं के अनुरूप भवन निर्माण करने की जिम्मेदारी भवन निर्माण अनुज्ञाधारी की होगी।
12. उक्त स्वीकृति के कारण यदि जयपुर विकास प्राधिकरण को किसी न्यायालय, सक्षम अधिकारी तथा नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियम) अधिनियम के तहत नियुक्त अधिकारी के समक्ष किसी कार्यवाही में कोई भी खर्च, नुकसान, मुआवजा देना पड़े या देने योग्य हो तो प्रार्थी उनकी इस क्षति को पूर्ण करने के लिए बाध्य होगा।
13. दरवाजे एवं खिड़कियाँ इस प्रकार लगाए जायें कि वो सड़क की ओर निकले हुए नहीं हों।
14. भूस्वामी प्रत्येक गंजिल के लिए स्वीकृत आवासीय ईकाई से अधिक का निर्माण नहीं करेगा।
15. मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 से संबंधित शर्त का पालन नहीं होने पर भवन अनुज्ञा रद्द मानी जायेगी।
16. भूस्वामी भवन के परिसर को स्वीकृत उपयोग के अनुसार ही उपयोग में लेगा।
17. तकनीकीविज्ञ के निरीक्षण में स्वामी निर्माण कार्य करवायेगा जिसके संबंध में सूचना प्राधिकरण को पूर्व में देनी होगी। यदि तकनीकीविज्ञ को बदला जाता है तो इसकी सूचना 48 घन्टे के अन्दर यथोचित प्रमाण-पत्र में प्राधिकरण को देनी होगी।

081  
अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक  
भवन मानचित्र समिति  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

18. स्वीकृत मानचित्र में विभिन्न वर्गों के लिए फ्लेट्सों की संख्या के साथ संबंधित कन्स्ट्रक्शन फॉर्म का नाम निर्माण प्रारम्भ करने की दिनांक व निर्माण पूर्ण करने की संभावित अवधि मौके पर उपयुक्त स्थान पर बोर्ड लगाकर उस पर स्पष्ट रूप से दर्शाने होंगे।
19. आवेदक द्वारा पार्किंग क्षेत्र की पालना एकीकृत भवन विनियम 2017 के विनियम 10.1.16 के अनुसार सुनिश्चित की जानी होगी।
20. भवन परिसर में आगंतुकों की पार्किंग करवाई जाए तथा आगंतुकों हेतु निःशुल्क वाहन पार्किंग का बोर्ड लगवाया जावे।
21. प्राईवेट डवलपर्स (निजी विकासकर्ता) को मौके पर क्वालिटी कन्ट्रोल लैब स्थापित करनी होगी ताकि निर्माण कार्य की गुणवत्ता की समय-समय पर जाँच की जाए।
22. स्वीकृत मानचित्र मौके पर उपयुक्त स्थान पर बोर्ड लगाकर उस पर स्पष्ट रूप से दर्शाने होंगे।
23. निर्माण स्थल पर स्वीकृति का विवरण अर्थात् अनुमोदित मानचित्र, उपलब्ध पार्किंग की सूचना एवं भवन में सुरक्षा एवं निकास प्लान (Escape Plan) का नक्शा भी प्रदर्शित (Display) उपयुक्त स्थान पर प्रदर्शित किया जावे।
24. भवन का उपयोग प्रारंभ होने पर एक केयर टेकर की नियुक्ति की जावे जिसके पास भवन का मानचित्र, सुरक्षा एवं निकास प्लान (Escape Plan) उपलब्ध रहें। इस प्रकार नियुक्त केयर टेकर के मोबाईल नंबर एवं Land Line Number भी लिये जाकर पुलिस आयुक्त जयपुर महानगर व उपायुक्त जोन को सूचना उपलब्ध करवाई जावे ताकि किसी भी दुर्घटना की स्थिति में बचाव कार्य प्रभावी रूप से किये जा सकें।
25. एकीकृत भवन विनियम 2017 की धारा 18.3 की अनुपालना में "गलत तथ्यों पर प्राप्त की गई अथवा तथ्यों को छुपाकर प्राप्त की गई स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी एवं ऐसी निर्माण स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदनकर्ता को दोषी माना जायेगा।"
26. प्रश्नगत प्रकरण किसी भी न्यायालय में यदि लंबित है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी। यदि मानचित्र जारी होने के पश्चात यह अवगत हुआ कि किसी भी माननीय न्यायालय में प्रकरण लंबित है अथवा विपरीत निहित है तो मानचित्र स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगे।
27. अनुमोदित भवन मानचित्रों को भवन निर्माण शुरू किये जाने के समय भवन निर्माता द्वारा एक बोर्ड पर सम्पूर्ण ब्यौरा सहित जो पठनीय हो, को ऐसे स्थल पर (मुख्य सड़क की ओर) लगाया जावे, जिससे सभी लोगों को निर्मित किये जाने वाले भवन के अनुमोदन की पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके।
28. भवन निर्माण के समय निर्माण सामग्री से आसपास के भवनों के निवासकर्ताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इस हेतु भवन निर्माण के दौरान चारों ओर पर्दे लगवाये जावें।
29. भवन मानचित्र इस शर्त के साथ जारी किये जाते हैं कि आप द्वारा परियोजना के पूर्णता प्रमाण पत्र के आवेदन के साथ अग्निशमन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं पर्यावरण विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र नगरीय निकाय में जमा कराना होगा, उसके पश्चात ही पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।
30. निर्मित भवन के प्रवेश द्वार के पास भवन में अनुमोदित व उपलब्ध चार पहिया व दो पहिया वाहनों के पार्किंग की सूचना का बोर्ड (डिस्पले) लगवाया जावे।

संलग्न:- मानचित्रों की प्रति का 1 सेट (11 मानचित्र)

भवदीय,  
  
 (ओमप्रकाश पारीक)  
 अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक,  
 भवन मानचित्र समिति (बी.पी.)  
 जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. मुख्य नियन्त्रक (प्रवर्तन), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को मानचित्रों की प्रति (11 मानचित्र) संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
2. रजिस्ट्रार, रेरा विभाग, नगर नियोजन भवन, जयपुर।
3. उपायुक्त, जोन-11, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को मानचित्रों की प्रति (11 मानचित्र) संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
4. सहायक नगर नियोजक, जोन-11, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को मानचित्रों की प्रति (11 मानचित्र) संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
5. सहायक नगर नियोजक, बीपीसी-बीपी, जविप्रा, जयपुर को साईट निरीक्षण पत्रावली हेतु मानचित्रों की प्रति (11 मानचित्र) संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(ओमप्रकाश पारीक)  
 अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक,  
 भवन मानचित्र समिति (बी.पी.)  
 जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।




सर्व अधिकार सुरक्षित हैं।  
 इस दस्तावेज़ में दर्शाया गया है कि  
 इस योजना को अंतिम रूप में  
 मंजूरी दी गई है।  
 इस योजना को अंतिम रूप में  
 मंजूरी दी गई है।

यह योजना का अंतिम रूप है।  
 इस योजना को अंतिम रूप में  
 मंजूरी दी गई है।  
 इस योजना को अंतिम रूप में  
 मंजूरी दी गई है।

यह योजना का अंतिम रूप है।  
 इस योजना को अंतिम रूप में  
 मंजूरी दी गई है।  
 इस योजना को अंतिम रूप में  
 मंजूरी दी गई है।

यह योजना का अंतिम रूप है।  
 इस योजना को अंतिम रूप में  
 मंजूरी दी गई है।  
 इस योजना को अंतिम रूप में  
 मंजूरी दी गई है।

213  
 17/07/2017  
 11/7/2017  
 अच्युत कर्मा




<b>PROJECT:-</b> PROPOSED GROUP HOUSING AT PLOT NO. (UNDER CHIEF MINISTER JAN AWAS YOJANA -2015) IN SCHEME SOLITAIRE INDUSTRIAL PARK, AT VILLAGE DEHMI KALAN, TEHSIL-SANGANER, JAIPUR	<b>DRAWING TITLE :-</b> GROUND FLOOR PLAN	<b>SCALE-</b> 1:100 <b>DATE-</b> 25/09/2018	<b>OWNER SIGN.</b> For Kriksa Apartments Pvt. Ltd Navdeep	<b>ARCHITECT SIGN.</b> RAJENDRA KUMAR ARCHITECT (R.A.A., M.C.A.I.) 02288172378	<b>NORTH</b>  <b>DRG.NO : 02</b>
--	--	---	---	---	--

बहुचु चिकार मापक  
 इनका मापन/मिटर/फुट में माप करके  
 बराबर मापन में माप करके  
 बाकी के मापन में माप करके  
 बाकी के मापन में माप करके  
 बाकी के मापन में माप करके

अपनी मापन/मिटर/फुट में माप करके  
 इनका मापन/मिटर/फुट में माप करके

अपनी मापन/मिटर/फुट में माप करके  
 इनका मापन/मिटर/फुट में माप करके

11/7/2018 122



**PROJECT:-**  
 PROPOSED GROUP HOUSING AT PLOT NO.  
 (UNDER CHIEF MINISTER JAN AWAS YOJANA -2015)  
 IN SCHEME SOLITAIRE INDUSTRIAL PARK,  
 AT VILLAGE DEHMI KALAN, TEHSIL-SANGANER, JAIPUR

**DRAWING TITLE :-**  
 TYPICAL FLOOR PLAN  
 (1st TO 9th)

**SCALE-**  
 1:100  
**DATE-** 25/09/2018

**OWNER SIGN.**  
 For Kriksa Apartments Pvt. Ltd  
 Nav Nisay  
 Authorised Signatory

**ARCHITECT SIGN.**  
 RAVINDRA KUMAR  
 ARCHITECT (A.I.A. M.E.A.)  
 CAZ200122516

**NORTH**  
  
**DRG.NO: 03**

अनुमोदित  
 11/7/2018





जयपुर विकास प्राधिकरण  
 जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा  
 प्रस्तावित इकाई का निर्माण  
 के लिए आवश्यक है।

जि. भौतिक का अनुपालन मिली की बात  
 अनुपालन में प्रतिकूल प्रतिकूल का  
 अनुपालन में प्रतिकूल प्रतिकूल का  
 अनुपालन में प्रतिकूल प्रतिकूल का

अनुपालन प्राधिकरण जयपुर द्वारा  
 अनुपालन प्राधिकरण जयपुर द्वारा  
 अनुपालन प्राधिकरण जयपुर द्वारा  
 अनुपालन प्राधिकरण जयपुर द्वारा

भवन प्राधिकरण (प्लान) की 213...  
 दिनांक 17/08/2019 दिने की निर्माण  
 की अनुपालन में प्रतिकूल प्रतिकूल का  
 अनुपालन प्राधिकरण जयपुर द्वारा  
 अनुपालन प्राधिकरण जयपुर द्वारा

अनुमोदित  
 08/11/19  
 अतिरिक्त अधिकारी  
 भवन प्राधिकरण, जयपुर  
 जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा  
 अनुपालन प्राधिकरण जयपुर द्वारा  
 अनुपालन प्राधिकरण जयपुर द्वारा  
 अनुपालन प्राधिकरण जयपुर द्वारा

अनुपालन प्राधिकरण जयपुर द्वारा  
 अनुपालन प्राधिकरण जयपुर द्वारा  
 अनुपालन प्राधिकरण जयपुर द्वारा  
 अनुपालन प्राधिकरण जयपुर द्वारा



LEFT SIDE ELEVATION

<p>PROJECT:-                  PROPOSED GROUP HOUSING AT PLOT NO.                  (UNDER CHIEF MINISTER JAN AWAS YOJANA -2015)                  IN SCHEME SOLITAIRE INDUSTRIAL PARK,                  AT VILLAGE DEHMI KALAN, TEHSIL-SANGANER, JAIPUR</p>	<p>DRAWING TITLE :-                  RIGHT SIDE ELEVATION</p>	<p>SCALE-                  1:125                  DATE- 25/09/2018</p>	<p>OWNER SIGN.                  For Kritika Apartments Pvt. Ltd                  Nav Nilay                  [Signature]                  Authorised Signatory</p>	<p>ARCHITECT SIGN.                  [Signature]                  RAVINDRA KUMAR                  ARCHITECT (A.I.I.A., M.C.A.)                  CAI200128576</p>	<p>NORTH                  [Compass Rose]                  DRG.NO: 06</p>
---	---	--	---	---	--

जयपुर नगरपालिका, जयपुर, राजस्थान

सर्वेक्षण नं. 17/05/2019

11/7/2019

भूमि मालिक (प्लॉट नं.) को 213...  
 प्लॉट नं. 17/05/2019 को नवीन निर्माण  
 को अनुमति दे पत्र मानक प्लान/ड्रॉइंग/  
 स.स. नं. 1122 दिनांक 11/7/2019  
 प्राप्त अनुमति कर जारी किया गये।

अनुमोदित  
 11/7/19

अतिरिक्त मुख्य निर्देशक  
 भवन मंत्रालय  
 जयपुर नगरपालिका, जयपुर

जयपुर नगरपालिका, जयपुर, राजस्थान


सर्वेक्षण नं. 17/05/2019

11/7/2019

भूमि मालिक (प्लॉट नं.) को 213...  
 प्लॉट नं. 17/05/2019 को नवीन निर्माण  
 को अनुमति दे पत्र मानक प्लान/ड्रॉइंग/  
 स.स. नं. 1122 दिनांक 11/7/2019  
 प्राप्त अनुमति कर जारी किया गये।

अनुमोदित  
 11/7/19

अतिरिक्त मुख्य निर्देशक  
 भवन मंत्रालय  
 जयपुर नगरपालिका, जयपुर



RIGHT SIDE ELEVATION

PROJECT:- PROPOSED GROUP HOUSING AT PLOT NO. (UNDER CHIEF MINISTER JAN AWAS YOJANA -2015) IN SCHEME SOLITAIRE INDUSTRIAL PARK, AT VILLAGE DEHMI KALAN, TEHSIL-SANGANER, JAIPUR	DRAWING TITLE :-  RIGHT SIDE ELEVATION	SCALE- 1:125  DATE- 25/09/2018	OWNER SIGN. For Kritika Apartments Pvt. Ltd Nav Nilay Sardhanu Desai Authorised Signatory	ARCHITECT SIGN. RANINDRA KUMAR ARCHITECT (A.L.L.A., M.C.A.) CA/2001720576	NORTH E N W S DRG.NO : 07
--	--	---	---	--	--

बिहार विकास प्राधिकरण  
 समस्त बहुमंजिली इमारती एवं विकास  
 परियोजनाओं के अंतर्गत ही  
 बनाये गए सभी निवासन केंद्र एवं  
 इमारतियाँ स्वतंत्र रूप से पूर्ण रूप  
 से बनाई जाने वाली होंगी।

सर्वे वीटर हे वरुं व्यावसायिक/व्यवसाय  
 प्रयुक्तों में वीकी वरुं प्रयुक्त निर्माणांकन  
 कोडों के अनुसार ही बनाये जाने होंगे।  
 इमारतियों में Promissory Discrepancy को  
 वरुं प्रकार के प्रकारों के अनुसार ही  
 बनाये जाने होंगे।  
 इमारतियों में स्वीकृत  
 कि निर्माण के एक सप्ताह में

एक भागिक या समग्र रूप से किसी भी  
 इमारत/परियोजना के अंतर्गत  
 एकाधिक इमारतों का निर्माण  
 ही प्रयुक्त होंगे।  
 वीकी वरुं प्रयुक्त निर्माणांकन  
 कोडों के अनुसार ही बनाये जाने होंगे।  
 इमारतियों में स्वीकृत  
 कि निर्माण के एक सप्ताह में

सर्वे वीटर हे वरुं व्यावसायिक/व्यवसाय  
 प्रयुक्तों में वीकी वरुं प्रयुक्त निर्माणांकन  
 कोडों के अनुसार ही बनाये जाने होंगे।  
 इमारतियों में Promissory Discrepancy को  
 वरुं प्रकार के प्रकारों के अनुसार ही  
 बनाये जाने होंगे।  
 इमारतियों में स्वीकृत  
 कि निर्माण के एक सप्ताह में

सर्वे वीटर हे वरुं व्यावसायिक/व्यवसाय  
 प्रयुक्तों में वीकी वरुं प्रयुक्त निर्माणांकन  
 कोडों के अनुसार ही बनाये जाने होंगे।  
 इमारतियों में Promissory Discrepancy को  
 वरुं प्रकार के प्रकारों के अनुसार ही  
 बनाये जाने होंगे।  
 इमारतियों में स्वीकृत  
 कि निर्माण के एक सप्ताह में

Application approved for  
 construction checked at plumb  
 level before proceeding for  
 further construction

भवन नं. 213...  
 दिनांक 17/05/2019  
 1122  
 11/12/2019

प्रमाणित  
 11/12/19  
 निदेशक  
 भवन निर्माण विभाग  
 जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर



BACK SIDE ELEVATION

PROJECT:- PROPOSED GROUP HOUSING AT PLOT NO. (UNDER CHIEF MINISTER JAN AWAS YOJANA -2015) IN SCHEME SOLITAIRE INDUSTRIAL PARK, AT VILLAGE DEHMI KALAN, TEHSIL-SANGANER, JAIPUR	DRAWING TITLE :-	SCALE-	OWNER SIGN.	ARCHITECT SIGN.	NORTH
	BACK SIDE ELEVATION	1:125	For Kritika Apartments Pvt. Ltd Nav Nilay		
		DATE- 25/09/2018		RAVINDRA KUMAR ARCHITECT (A.I.A., M.C.A.) CA/2001/28576	DRG.NO : 08

जयपुर विकास प्राधिकरण  
 जयपुर नगरपालिका  
 जयपुर नगरपालिका विकास प्राधिकरण  
 जयपुर नगरपालिका विकास प्राधिकरण  
 जयपुर नगरपालिका विकास प्राधिकरण

जयपुर नगरपालिका विकास प्राधिकरण  
 जयपुर नगरपालिका विकास प्राधिकरण  
 जयपुर नगरपालिका विकास प्राधिकरण  
 जयपुर नगरपालिका विकास प्राधिकरण


जयपुर विकास प्राधिकरण  
 जयपुर नगरपालिका विकास प्राधिकरण  
 जयपुर नगरपालिका विकास प्राधिकरण  
 जयपुर नगरपालिका विकास प्राधिकरण

जयपुर विकास प्राधिकरण  
 जयपुर नगरपालिका विकास प्राधिकरण  
 जयपुर नगरपालिका विकास प्राधिकरण  
 जयपुर नगरपालिका विकास प्राधिकरण


Approximate structure to be constructed at this level before proceeding to further construction.

जयपुर विकास प्राधिकरण (जी.वी.) को... 213  
 जयपुर विकास प्राधिकरण (जी.वी.) को... 112  
 जयपुर विकास प्राधिकरण (जी.वी.) को... 117/25/2019

अतिरिक्त पुरानो निर्माता  
 जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर



SECTION AT YY'



SECTION AT XX'

PROJECT:- PROPOSED GROUP HOUSING AT PLOT NO. (UNDER CHIEF MINISTER JAN AWAS YOJANA -2015) IN SCHEME SOLITAIRE INDUSTRIAL PARK, AT VILLAGE DEHMI KALAN, TEHSIL-SANGANER, JAIPUR	DRAWING TITLE :- SECTIONS	SCALE- 1:125	OWNER SIGN. For Kritika Apartments Pvt. Ltd Nav Nilay Authorised Signatory	ARCHITECT SIGN. RAVINDRA KUMAR ARCHITECT (A.I.A., M.C.A.) CA/2001/28576	NORTH E N W S
		DATE- 25/09/2018			

जयपुर विकास प्राधिकरण  
 समस्त बहुमंजरी स्थापनाएँ एवं निवास  
 मकानों के निर्माण में मान्यता प्राप्त  
 योजनाएँ एवं उनके अंतर्गत निर्माण के लिए  
 आवश्यक स्थलों की स्वीकृति एवं सुविधा  
 प्रदान करने के लिए अर्जों को संभालता  
 कार्यालय

सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अंतर्गत  
 जयपुर विकास प्राधिकरण के अधीन  
 कार्य करने वाले अधिकारियों के द्वारा  
 प्रमाणित किया गया है कि यह योजना  
 विद्यमान नियमों के अंतर्गत  
 स्वीकृत है।


जयपुर विकास प्राधिकरण  
 द्वारा प्रमाणित किया गया है कि यह योजना  
 विद्यमान नियमों के अंतर्गत  
 स्वीकृत है।

17/09/2019  
 अनुमोदित  
 11/11/2019  
 अतिरिक्त मुद्रा संतर नियोजक  
 जयपुर विकास प्राधिकरण


सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अंतर्गत  
 जयपुर विकास प्राधिकरण के अधीन  
 कार्य करने वाले अधिकारियों के द्वारा  
 प्रमाणित किया गया है कि यह योजना  
 विद्यमान नियमों के अंतर्गत  
 स्वीकृत है।

जयपुर विकास प्राधिकरण  
 द्वारा प्रमाणित किया गया है कि यह योजना  
 विद्यमान नियमों के अंतर्गत  
 स्वीकृत है।

applicant should get  
 construction checked at plot  
 level before proceeding to  
 further construction.



TYPICAL FLOOR (FIRST TO 9TH) AREA CALCULATION
1. BLOCK AREA = 2026.14 SQ.M.
2. FIRE ESCAPE STAIR = FS1+FS2+FS3 = 11.15+10.53+11.15=33.59 SQ.M.
B.A.R AREA = 1-2 = 2026.14-33.59= 1992.55 SQ.M.
BUILT UP AREA = 2026.14 SQ.M.



BLOCK AREA  
 = 2026.14 SQ.MTR.

PROJECT:- PROPOSED GROUP HOUSING AT PLOT NO. (UNDER CHIEF MINISTER JAN AWAS YOJANA -2015) IN SCHEME SOLITAIRE INDUSTRIAL PARK, AT VILLAGE DEHMI KALAN, TEHSIL-SANGANER, JAIPUR	DRAWING TITLE :- TYPICAL FLOOR AREA CALCULATION (1st TO 9th)	SCALE- N.T.S. DATE- 25/09/2018	OWNER SIGN. For Kritika Apartments Pvt. Ltd Nav Nilay 11/09/2019 Sorekhan AD Authorised Signatory	ARCHITECT SIGN. RAVINDRA KUMAR ARCHITECT (A.I.I.A., M.C.A.) CA/2001/23576	NORTH DRG.NO :-10
--	--	--------------------------------------	--	--	----------------------

जनसुख विकास प्राधिकरण  
 जनसुख बहुमंजिल इमारती एवं विकास  
 बसलायन योजना में आम जनता की  
 हितों को ध्यान में रखते हुए  
 इमारतों के निर्माण के लिए  
 आवश्यक नगर विकास प्राधिकरण  
 की स्वीकृति दी जाती है।

भारतीय का अनुमोदन (सिटी डी प्लान)  
 इमारत-प्लान की स्वीकृति के लिए  
 प्रमाण-पत्र जारी किया गया है।  
 प्रमाण-पत्र की शर्तों के अनुसार  
 निर्माण कार्य पूर्ण होने पर  
 आवेदनकर्ता को प्लान की  
 प्रतिलिपि प्रदान की जाएगी।

भूखण्ड का क्षेत्रफल 8.15 है  
 भूखण्ड का आयतन 11.15 है  
 भूखण्ड का आयतन 10.53 है  
 भूखण्ड का आयतन 11.15 है


भूखण्ड की सीमाएं एवं विवरण  
 भूखण्ड की सीमाएं एवं विवरण  
 भूखण्ड की सीमाएं एवं विवरण  
 भूखण्ड की सीमाएं एवं विवरण

भूखण्ड का क्षेत्रफल 8.15 है  
 भूखण्ड का आयतन 11.15 है  
 भूखण्ड का आयतन 10.53 है  
 भूखण्ड का आयतन 11.15 है


approach should get in  
 construction checked at plint  
 level before proceeding to  
 further construction

भूखण्ड का क्षेत्रफल 8.15 है  
 भूखण्ड का आयतन 11.15 है  
 भूखण्ड का आयतन 10.53 है  
 भूखण्ड का आयतन 11.15 है

भूखण्ड का क्षेत्रफल 8.15 है  
 भूखण्ड का आयतन 11.15 है  
 भूखण्ड का आयतन 10.53 है  
 भूखण्ड का आयतन 11.15 है



GROUND FLOOR AREA CALCULATION  
 1. BLOCK AREA = 1811.46 SQ.M.  
 2. FIRE ESCAPE STAIR = FS1+FS2+FS3 = 11.15+10.53+11.15=33.59 SQ.M.  
 B.A.R AREA = 1-2 = 1811.46-33.59= 1777.87 SQ.M.  
 BUILT UP AREA = 1811.46 SQ.M.



PROJECT:- PROPOSED GROUP HOUSING AT PLOT NO. (UNDER CHIEF MINISTER JAN AWAS YOJANA -2015) IN SCHEME SOLITAIRE INDUSTRIAL PARK, AT VILLAGE DEHMI KALAN, TEHSIL-SANGANER, JAIPUR	DRAWING TITLE :-	SCALE-	OWNER SIGN.	ARCHITECT SIGN.	NORTH
	GROUND FLOOR AREA CALCULATION	N.T.S.	For Kritika Apartments Pvt. Ltd Nav Nilay Navnilay Authorised Signatory	RAVINDRA KUMAR ARCHITECT (A.I.A., M.C.A.) CA/2001/28516	
		DATE- 25/09/2018			DRG.NO :-11